राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/पंजीकरण/ 2019/926 दिनांकः– 19/11/2019

::आदेश::

राजस्थान आवासन मण्डल की राजीव गांधी नगर योजना, गंगाणा रोड़, चौखा, जोधपुर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 479 स्वतंत्र आवासों के लिए पंजीकरण योजना दिनांक 02–11–2011 से 30–11–2011 तक खोली गयी थी। उक्त पंजीकरण योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों की वरीयता का निर्धारण दिनांक 09–05–2012 को किया गया।

मण्डल को विकसित 500 भूखण्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से लिये गये एवं मण्डल द्वारा भूमि का कब्जा दिनांक 01–04–2011 को प्राप्त कर लिया गया। उक्त भूखण्डों का विकास कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण से कराने हेतु मण्डल द्वारा योजना का विकास कार्य किये जाने हेतु रूपये 4,95,62,540/– देय राशि का भुगतान भी कर दिया गया परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त आवासीय योजना का विकास कार्य नहीं करवाया गया है।

मण्डल द्वारा खोली गयी उक्त पंजीकरण योजना में आधारभूत विकास कार्य नहीं होने के कारण मूर्तरूप नहीं ले पायी है एवं उक्त योजना में आवेदन करने वाले आवेदक भी लम्बे समय से प्रतिक्षारत है।

अतः मुख्य अभियन्ता–द्वितीय की अनुशंषा पर मण्डल की राजीव गांधी नगर योजना, गांगाणा रोड़, चौखा, जोधपुर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु खोली गयी पंजीकरण योजना 2011 को तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उक्त योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा जमा करवायी गयी पंजीकरण राशि मण्डल नियमुनसार देय ब्याज सहित लौटायी जावें।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम/द्वितीय, रा0आ0म0, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, रा0आ0म0, जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. प्रीति सिंह पंवार)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

D/DRB/Letter